

- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए मतदाता वैकल्पिक पहचान पत्रों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
- उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन बिना पूर्व प्रमाणन के प्रिंट मीडिया पर विज्ञापन जारी नहीं की जा सकेगी।
- द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए मतदान के अड़तालीस घंटे पूर्व जन सभाएं आयोजित नहीं की जा सकती।
- मध्योत्तर अंडमान जिला निर्वाचन अधिकारी दिलखुश मीणा ने जिले के मतदाताओं से आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में शिकायतें सी-विजिल ऐप में दर्ज करने का अनुरोध किया है।
- एनसीईआरटी ने कहा है कि विद्यालयों की पुस्तकें समय पर उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

<><><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने और मतदाताओं को उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते मतदान के दिन वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है। जिन मतदाताओं के पास फोटो मतदाता पहचान पत्र नहीं हैं, वे पहचान के लिए वैकल्पिक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाक कार्यालय की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एन.पी.आर के तहत आर.जी.आई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों को इन संस्थाओं की ओर से जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, यूडीआईडी कार्ड दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग मतदाताओं की सुविधा के लिए संबंधित मतदान केन्द्रों के बूथ स्तर के अधिकारियों के माध्यम से मतदाता सूचना स्लिप का वितरण का कार्य कर रहा है, ताकि मतदाता अपने मतदाता सूची में उनके नाम, मतदान केन्द्र, मतदान की तिथि, समय और उनके मतदान सूची में कम संख्या के बारे में जानकारी हासिल कर सके। हालांकि मतदाता सूचना स्लिप मतदाता की पहचान के साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। द्वीपसमूह के मतदाताओं से प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। मतदान उन्नीस अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम छः बजे के बीच होगा।

<><><><><><><><>

उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन बिना पूर्व प्रमाणन के प्रिंट मीडिया पर विज्ञापन जारी नहीं की जा सकेगी। भारतीय चुनाव आयोग ने इस संबंध में राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, संगठनों और लोगों से कहा है कि वे इस आदेश का पालन करें। आदेश में कहा गया है कि पिछले अनुभव के अनुसार प्रिंट मीडिया पर भ्रामक और गलत विज्ञापन जारी होने की घटनाएं प्रकाश में आई थीं। अंतिम क्षणों में ऐसे विज्ञापनों से चुनाव प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होता है और प्रभावित उम्मीदवारों तथा दलों को ऐसे मामलों पर स्पष्टीकरण देने का अवसर भी नहीं मिलता है। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न न हो, इसके लिए नियमों के तहत सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, संगठनों और व्यक्तिगत लोगों से कहा है कि वे बिना पूर्व प्रमाणन के प्रिंट मीडिया पर विज्ञापन न छापें। आयोग ने यह भी कहा है कि विज्ञापन की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पूर्व एम सी एम सी के पास आवेदन करना होगा।

